न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **253/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/577

उनवान

1. श्री नानालाल पिता स्व. वगता जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
2. श्री गोवर्धनलाल पिता स्व. देवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
3. श्री जवेरा पिता स्व. देवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
4. श्री पेमा पिता स्व. देवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
5. श्री सुरता पिता स्व. जीवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
6. श्री केसूलाल पिता स्व. तेजराम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
7. श्री लक्ष्मण पिता स्व. तेजराम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
8. श्री छगनलाल पिता स्व. तेजराम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
9. श्री मोहनलाल पिता स्व. प्रभूलाल जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
10. श्री आसुराम पिता स्व. प्रभूलाल जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
11. श्री माधुलाल पिता स्व. टेका जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
12. श्री ओमप्रकाश पिता स्व. टेका जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री दाखीलाल पिता स्व. भोलीसम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा, जिला उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 13.01.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मारूवास, पटवार हल्का नउवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेमली, तहसील घासा, जिला उदयपुर में खाता संख्या–114 की आराजी संख्या–1487/1118 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर व खाता संख्या–264 की आराजी संख्या–1260 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1262 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1264 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1268 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1273 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1274 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1277 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1281 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1285 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1288 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1289 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1295 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1296 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1297 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1302 रकबा 0.0162 हैक्टेयर व आराजी संख्या–1306 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 0.9552 हैक्टेयर तथा खाता संख्या–265 की आराजी संख्या–1275 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1282 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1284 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1292 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1293 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1305 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1307 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1309 रकबा 1.5378 हैक्टेयर व आराजी संख्या–1314 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.2582 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

2. यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के परिवार का सजरा निम्नानुसार है :–

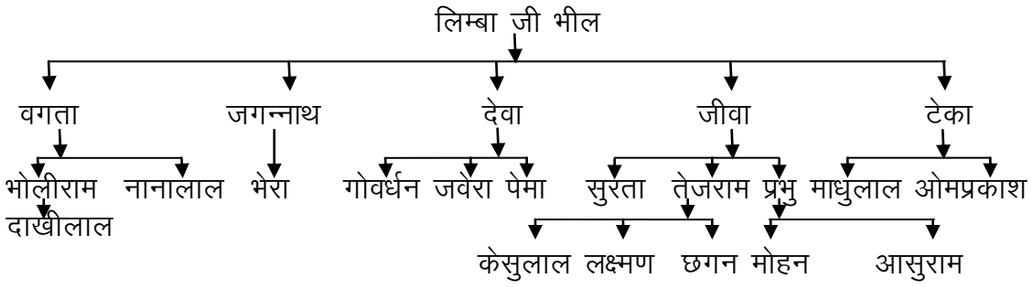

उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष लिम्बा जी भील थे, जिनके पाँच पुत्र क्रमशः वगता, जगन्नाथ, देवा, जीवा व टेका हुए, इन सभी का स्वर्गवास हो चुका है। वगता के दो पुत्र क्रमशः भोलीराम व नानालाल है। इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Dunadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

में से भी भोलीराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिनका पुत्र दाखीलाल है। जगन्नाथ के पुत्र भेरा का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायन्दा सन्तान नहीं है। इसी प्रकार देवा के तीन पुत्र क्रमशः गोवर्धन, जवेरा व पेमा है। जीवा के तीन पुत्र क्रमशः सुरता, तेजराम व प्रभू है। इनमें से तेजराम व प्रभू का स्वर्गवास हो चुका है। तेजराम के तीन पुत्र क्रमशः केसूलाल, लक्ष्मण व छगन है तथा प्रभू के दो पुत्र क्रमशः मोहन व आसुराम है। टेका के दो पुत्र क्रमशः माधुलाल व ओमप्रकाश है। उक्त भूमि के सहखातेदार श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील का स्वर्गवास 40 वर्ष पहले हो चुका है, जिनका एकमात्र पुत्र भेरा हुआ, जिसका भी दिनांक 02–05–2021 को ला–औलाद स्वर्गवास हो चुका है, जिसके विधिक वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 है। उक्त भूमि पर मृतक जगन्नाथ का आधिपत्य वादीगण व अन्य सहखातेदार के साथ शामलाती तौर पर चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् भेरा का आधिपत्य रहा और उसके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 का आधिपत्य बिना किसी दखल के स्वतन्त्रापुर्वक चला आ रहा है, लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सहखातेदारी से श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के नाम पर दर्ज चली आ रही है, क्योंकि उनके पुत्र भेरा ने विरासत का नामान्तकरण अज्ञानतावश कभी स्वीकृत ही नहीं करवाया।

3. यह कि उक्त भूमि मृतक श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के सहखातेदारी से दर्ज चली आ रही है, जिससे श्री भेरा पिता जगन्नाथ जी भील के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या–1 के मन में बेईमानी आ गई और वह श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से की भूमि को हडप करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादी संख्या–1 अकेला श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से की भूमि का विधिक वारिस नही होकर वादीगण भी प्रतिवादी संख्या–1 की भाँति सजरे के अनुसार श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से की भूमि के विधिक वारिस है और श्री भेरा पिता जगन्नाथ जी भील के स्वर्गवास के पश्चात् से मौके पर आधिपत्यधारी है। श्री भेरा पिता जगन्नाथ जी भील के स्वर्गवास के पश्चात् उसके सामाजिक रीति रिवाज से काज करियावर अन्य सभी कार्य वादीगण ने व प्रतिवादी संख्या–1 ने सामुहिक रूप से किये है और [illegible] वहन किया है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के सहखातेदारी की होने की वजह वह वादीगण के साथ आए दिन श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से को लेकर मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested

पर विवाद करता रहता है और वादीगण को मौके से बेदखल करने की योजना बनाता रहता है, जबकि प्रतिवादी संख्या–1 को स्पष्ट तौर पर जानकारी है कि श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के विधिक वारिस सभी परिवारजन है। वह अकेला विधिक वारिस कदापि नहीं है, फिर भी वह श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से को हडपना चाहता है। प्रतिवादी संख्या–1 को कोई विधिक अधिकार नही है कि वह वादीगण जगन्नाथ के हिस्से से बेदखल करे और अपने आपको अकेला श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील का विधिक वारिस बतावे। श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित नही किया है। उनका स्वर्गवास निर्वसीयती हुआ है।

4. यह कि वादी संख्या–1 को 1/8 हिस्से, वादी संख्या–2 से 4 को 1/4 हिस्से, वादी संख्या–5 को 1/12 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को 1/12 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को 1/12 हिस्से व वादी संख्या–11 से 12 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या–1 को 1/8 हिस्से उक्त भूमि के सहखातेदार मृतक श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह जगन्नाथ के हिस्से से वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे तथा प्रतिवादी संख्या–2 को पाबन्द किया जावे कि वह अकेले प्रतिवादी संख्या–1 के नाम पर जगन्नाथ का हिस्सा दर्ज नही करे।

5. वादकारण दिनांक 18–11–2024 को तब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी संख्या–1 ने उक्त भूमि में श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के स्थान पर विरासत से वादीगण का नाम जुडवाने से इन्कार कर दिया और प्रतिवादी संख्या–2 तहसीलदार साहब ने वादीगण का नाम दुरूस्त करने में असमर्थता जाहिर कर इन्कार कर दिया। यही वादकारण मौजा मारूवास, पटवार हल्का नउवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेमली, तहसील घासा, जिला उदयपुर में उत्पन्न हुआ, जो आज भी निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान किया जावे कि उक्त भूमि में वादी संख्या–1 को 1/8 हिस्से, वादी संख्या 2 से 4 को 1/4 हिस्से, वादी संख्या–5 को 1/12 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को 1/12 हिस्से, वादी संख्या–9 से 10 को 1/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से व वादी संख्या–11 से 12 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या–1 को 1/8 हिस्से को उक्त भूमि के सहखातेदार मृतक श्री जगन्नाथ पिता लिम्बा जी भील के हिस्से का सजरे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और तदआशय का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि के जगन्नाथ जी के हिस्से से या इसके किसी भी भाग से वादीगण को बेदखल नही करे, अवैध निर्माण नही करे, उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नही करे, जगन्नाथ जी के हिस्से में दखल अन्दाजी नही करे। वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विघन एवं बाधा उत्पन्न नही करे। न तो उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने रिश्तेदार, सहयोगी से करावे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी संख्या 1 नानालाल पिता वगता भील निवासी मारूवास द्वारा प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा मारूवास की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 114 प्रदर्श–1, खाता संख्या 264 पेज 1 से 2 प्रदर्श 2, खाता संख्या 265 पेज 1 से 2 प्रदर्श 3, खसरा मिलान पत्रक संवत 2022 पेज 1 से 10 प्रदर्श 4, जमाबंदी नकल संवत 2049–52 पेज 1 से 4 प्रदर्श 5, जमाबंदी संवत 2057–60 पेज 1 से 4 प्रदर्श 6, जमाबंदी नकल संवत 2061–64 पेज 1 से 4 प्रदर्श 7, जमाबंदी नकल संवत 2065–68 पेज 1 से 5 प्रदर्श 8 करवाए गए। गवाह पीडब्ल्यू 2 वादी संख्या 11 माधुलाल पिता टेका भील का शपथ पत्र दस्तावेज भेरा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 करवाया गया। गवाह पी.डब्ल्यू 3 आसुराम पुत्र प्रभुलाल भील, गवाह पी.डब्ल्यू 4 जवेरा पुत्र देवा निवासी मारूवास, गवाह पी.डब्ल्यू 5 सूरता पिता जीवा निवासी मारूवास, गवाह पी.डब्ल्यू 6 भोला गमेती पिता चुना भील निवासी विकरणी के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2049—52 के खाता संख्या 55, 2057—60 के खाता संख्या 58, 2061—64 के संख्या 126 का अवलोकन करने से जाहीर आया की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1272, 1275, 1282, 1284, 1292, 1293, 1305, 1307, 1309, 1314 किता 10 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि वगता, देवा, जगन्नाथ, जीवा, टेका पिता लिम्बा के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि जगन्नाथ के चार भाई वगता, देवा, जीवा, टेका है। वादीगण द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 2 में अपने मौरूस के बताए गए सजरे अनुसार मूल पूरूष लिम्बा के पांच पुत्र वगता, जगन्नाथ, देवा, जीवा, टेका है। जो उपर्युक्त नकल जमाबंदी से भी साबित हो रहा है। जगन्नाथ पिता लिम्बा के एक पुत्र भेरा हुआ है जो लाऔलाद फौत हो चुका है। भेरा के पिता का निधन वादीगण द्वारा वाद पत्र में बताए गए अनुसार लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। परन्तु उसके पुत्र भेरा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित नही करवाने से वर्तमान नकल जमाबंदी संवत 2077—80 में भी भेरा के पिता जगन्नाथ का नाम चला आ रहा है। वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अपने मौरूस सहित सजरा अंकित किया गया है। साथ ही वाद पत्र के समर्थन में वादी संख्या 1, 3, 5, 10, 11 द्वारा मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की ताईद की गई है। प्रदर्श पी 9 मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार भेरा पिता जगन्नाथ का निधन दिनांक 02.05.2021 को हो चुका है। वादीगण वर्तमान जमाबंदी में अंकित जगन्नाथ पिता लिम्बा की भूमि में घोषणा करवाना चाहते है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत का नामान्तकरण पारित नही करने से ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 1487/1118 रकबा 0. 6475 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 1260, 1262, 1264, 1268, 1273, 1274, 1277, 1281, 1285, 1288, 1289, 1295, 1296, 1297, 1302, 1306 किता 16 कुल रकबा 0.9552 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 265 पर दर्ज आराजी नम्बर 1272, 1275, 1282, 1284, 1292, 1293, 1305, 1307, 1309, 1314 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Suvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested

10 कुल रकबा 2.2582 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम हिस्से अनुसार दर्ज चली आ रही है। जगन्नाथ पिता लिम्बा का निधन वादीगण के कथनानुसार लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। परन्तु उसके पुत्र भेरा के नाम विरासत का नामान्तकरण पारित नही करने से जगन्नाथ के नाम ही चली आ रही है। उसका पुत्र भेरा भी लाऔलाद फौत हो चुका है। प्रकरण में केवल मात्र विवाद जगन्नाथ पिता लिम्बा नाम दर्ज हिस्सा भूमि तक ही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार किसी खातेदार का निधन हो जाता है तो उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज होती है। परन्तु इस प्रकरण में प्रथम श्रेणी के वारिस का भी निधन हो चुका है। जिसके भी कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नही है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि विरासत से द्वितीय श्रेणी के वारिसान में निहित हो चुकी है। राजस्व कर्मचारियो को विरासत के आधार पर नामान्तकरण पारित करते हुए द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम भूमि दर्ज करनी चाहिए थी। जबकि राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया है। न्यायालय का मानना है कि जगन्नाथ पिता लिम्बा के चार भाई थे जिनका भी निधन हो चुका है। ऐसे में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम दर्ज भूमि को उसके चारो भाईयो के हिस्सेनुसार उसके वारिसान के नाम घोषित किया जाना न्यायोचित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 1487/1118 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/2 हिस्से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से से, वादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 5 को 1/24 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से, वादी संख्या 11, 12 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 1260, 1262, 1264, 1268, 1273, 1274, 1277, 1281, 1285, 1288, 1289, 1295, 1296, 1297, 1302, 1306 किता 16 कुल रकबा 0.9552 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/5 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/40 हिस्से से, वादी संख्या 1 को 1/40 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 4 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्से से, वादी संख्या 5 को 1/60 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 11, 12 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 265 पर दर्ज आराजी नम्बर 1272, 1275, 1282, 1284, 1292, 1293, 1305, 1307, 1309, 1314 किता 10 कुल रकबा 2.2582 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 1 को 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 4 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 5 को 1/180 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/180 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को संयुक्त रूप से 1/180 हिस्से से, वादी संख्या 11, 12 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नानालाल पिता स्व. वगता जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
2. श्री गोवर्धनलाल पिता स्व. देवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
3. श्री जवेरा पिता स्व. देवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
4. श्री पेमा पिता स्व. देवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
5. श्री सुरता पिता स्व. जीवा जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
6. श्री केसूलाल पिता स्व. तेजराम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
7. श्री लक्ष्मण पिता स्व. तेजराम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
8. श्री छगनलाल पिता स्व. तेजराम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
9. श्री मोहनलाल पिता स्व. प्रभूलाल जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
10. श्री आसुराम पिता स्व. प्रभूलाल जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
11. श्री माधुलाल पिता स्व. टेका जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
12. श्री ओमप्रकाश पिता स्व. टेका जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री दाखीलाल पिता स्व. भोलीसम जी भील आयु वयस्क निवासी मारूवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा, जिला उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 253/24 (वाद) GCMS No. – 2024/577

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कास्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आदेश दिए जाते है कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 1487/1118 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/2 हिस्से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से से, वादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से, वादी संख्या 5 को 1/24 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से, वादी संख्या 11, 12 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 1260, 1262, 1264, 1268, 1273, 1274, 1277, 1281, 1285, 1288, 1289, 1295, 1296, 1297, 1302, 1306 किता 16 कुल रकबा 0.9552 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/5 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/40 हिस्से से, वादी संख्या 1 को 1/40 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 4 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्से से, वादी संख्या 5 को 1/60 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 11, 12 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 265 पर दर्ज आराजी नम्बर 1272, 1275, 1282, 1284, 1292, 1293, 1305, 1307, 1309, 1314 किता 10 कुल रकबा 2.2582 हैक्टेयर भूमि में जगन्नाथ पिता लिम्बा के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 1 को 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 4 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 5 को 1/180 हिस्से, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/180 हिस्से, वादी संख्या 9 से 10 को संयुक्त रूप से 1/180 हिस्से से, वादी संख्या 11, 12 को संयुक्त रूप से 1/60 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.01.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested